



राजकीय कन्या महाविद्यालय, अजमेर— 305001 शुल्क: रु 5/-

**प्रवेश शुल्क में रियायत एवं परिचय पत्र व उच्च शिक्षा विद्यार्थी सुरक्षा
दुर्घटना बीमा योजना एवं रैगिंग रोकथाम हेतु अधिग्रोषणा**

क्रमांक

कक्षा

संकाय

सत्र 20.....—20.....

अपनी फोटो इस
बॉक्स के साइज
की लगायें।
फोटो बड़ी होने
पर काट कर
छोटी करें।

प्रवेश समिति संयोजक अध्यरूप भरे आवेदन पत्र को स्वीकार न करें। कॉलम सं 11 की पूर्ति अत्यावश्यक है।

1. आवेदक का नाम (हिन्दी में) (अंग्रेजी कैपिटल लैटर में)
2. ऐच्छिक विषय 1 2 3 जन्म दिनांक
3. धर्म जाति विशेष योग्यजन है? (हाँ/नहीं)
4. पिता का नाम मोबाईल नं.—
5. माता का नाम
6. संरक्षक का नाम मोबाईल नं.—
7. क्या पिता आयकरदाता हैं (हाँ/नहीं) आय रूपये वार्षिक
8. श्रेणी(एस.सी./एस.टी./ओबीसी/सामान्य/अल्पसंख्यक/बी.पी.एल/एस.बी.सी.)
9. क्या छात्रावास की सुविधा चाहती हैं(हाँ/नहीं)
10. क्या आप स्वयं के वाहन से आयेंगी (हाँ/नहीं) वाहन का प्रकार:—साईकिल/दुपहिया
11. दुर्घटना बीमा योजना हेतु नामित व्यक्ति का नाम (अवश्य भरें) संबंध
- आवेदक का स्थायी पता
12. छात्रा का मोबाईल नं. घर का फोननं. आधारकार्ड सं.
13. आप महाविद्यालय की किन गतिविधियों में भाग लेंगी। प्राथमिकता के अनुसार 1. 2. 3. 4. वरीयता अंकित करें।
एन.सी.सी. एन.एस.एस. रोवर/रेंजर युवा विकास केन्द्र/महिलाप्र./योजनामंच
14. बैंक का नाम खाता संख्या
आई.एफ.एस.सी. कोड

दिनांक :

आवेदक के हस्ताक्षर

1. अभ्यर्थी प्रवेश की पात्रता पूर्ण करता है। मेरिट सं. श्रेणी हस्ताक्षर सदस्य प्रवेश समिति	प्रवेश की अनुशंसा की जाती है। हस्ताक्षर संयोजक प्रवेश समिति
छात्रा को प्रवेश दिया जाता है।	फीस विवरण : प्रवेश शुल्क रूपये चालान/रसीदनं दिनांक

हस्ताक्षर प्राचार्य

छात्रा परिचय पत्र में प्रविष्टियां साफ अक्षरों में भरें। छात्रा तथा प्रवेश समिति संयोजक निर्धारित बाक्स में ही हस्ताक्षर करें।

चलान / फीस रसीद सं		दिनांक		राजकीय कन्या महाविद्यालय, अजमेर छात्रा परिचय पत्र सत्र 2017-18 दिनांक: 30-6-2018 तक मान्य
स्थायी पता				
गृह जिला		जन्म तिथि		
गृह राज्य		श्रेणी	SC/ST/SBC OBC/GEN PH	
पिता का मो. नं.				
छात्रा का मो. नं.				
पुस्तकालय कार्ड	VOTED	छात्रा के हस्ताक्षर		<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>क्रमांक:</div> <div>कक्षा</div> <div>नाम छात्रा CAPITAL</div> <div>पिता का नाम CAPITAL</div> <div>माता का नाम CAPITAL</div> <div>ह.संयोजक </div> <div>ह. प्राचार्य </div> </div>

शपथ पत्र

1. मैं शपथपूर्वक बयान करती हूं कि मैंने रैगिंग निषेध के विधि/उच्चतम न्यायालय तथा केन्द्रीय/राज्य सरकारों के इससे संबंधित निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ लिया है तथा समझ लिया है। मैं यह भी घोषणा करती हूं कि मेरे विरुद्ध देश की किसी भी संस्था द्वारा रैगिंग के मामले में प्रतिबंध नहीं लगाया गया है ऐसा पाया जाये तो मेरा प्रवेश निरस्त कर दिया जावे।
2. मुझे जानकारी है कि विश्वविद्यालय के नियमानुसार 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य है, 75 प्रतिशत से कम उपस्थिति होने पर मेरे विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।
3. मेरे विरुद्ध किसी भी न्यायालय में कोई भी परिवाद न तो लंबित है। न ही मुझे किसी भी न्यायालय द्वारा दोषी घोषित किया है।
4. मैंने यूजी०सी की वेबसाईट www.antiragging.in पर रैगिंग में सम्मिलित न होने का प्रमाण पत्र ऑनलाइन अपलोड कर दिया है।
5. मैंने महाविद्यालय की वेबसाईट hte.rajasthan.gov.in/colleges/govt.girls.college.ajmer पर गत सत्र का फीडबैक फार्म ऑनलाइन अपलोड कर दिया है। (पार्ट द्वितीय/तृतीय/उत्तरार्द्ध की छात्राओं द्वारा भरा जाना है)
6. प्रवेश आवेदन पत्र में मेरे द्वारा दी गई समस्त जानकारी सही है।

दिनांक :.....

आवेदक के हस्ताक्षर

मेरी पुत्री द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र से मैं सहमत हूं। यदि मेरी पुत्री दोषी पायी जाती है तो इनका प्रवेश निरस्त कर दिया जाये। मैं तथा मेरी पुत्री राज्य सरकार/कॉलेजिशिक्षानिदेशालय/विश्वविद्यालय/प्राचार्य के नियमों व दिशानिर्देशों का पालन करने हेतु वचनबद्ध हूं।

दिनांक :.....

हस्ताक्षर अभिभावक

निर्देश :-

1. छात्रा आवेदन पत्र के साथ गत परीक्षा की अंकतालिका की फोटो प्रति अवश्य लगावें एवं आव यक दस्तावेजों की पर्याप्त संख्या में फोटो प्रतियां अपने पास रखें।
2. **सत्रारम्भ 1 जुलाई से नियमित अध्यापन कार्य प्रारंभ हो जायेगा। इसी दिन से उपस्थिति की गणना की जायेगी।**
3. महाविद्यालय द्वारा जारी सूचनाओं के लिए सूचना पट्ट का प्रतिदिन अवलोकन करें।
4. महाविद्यालय द्वारा जारी परिचय पत्र सदैव अपने पास रखें।
5. महाविद्यालय द्वारा जारी प्रवेश शुल्क की रसीद की समय समय पर आवश्यकता होने के कारण इसे संभाल कर रखें।
6. महाविद्यालय परिसर में मोबाइल फोन रखना एवं इसका प्रयोग करना पूर्णतः वर्जित है। ऐसा पाये जाने पर नियमानुसार जुर्माना देय होगा।
7. महाविद्यालय परिसर में तथा बाहर पर्यावरण स्वच्छ व सुन्दर रखें।
8. महाविद्यालय परिसर में तम्बाकू व इसके उत्पादों का सेवन करना पूर्णतः वर्जित है।
9. रिक्त कालाशों में बरामदों में घूम कर अन्य कक्षाओं में व्यवधान न डालें। इस समय का सदुपयोग पुस्तकालय में जा कर करें।
10. महाविद्यालय परिसर में अनुशासनहीनता करने पर नियमानुसार दण्ड के भागीदार होंगे।



राजकीय कन्या महाविद्यालय, अजमेर— 305001

छात्रावास प्रवेश आवेदन पत्र

क्रमांक

संकाय

सत्र 20.....—20.....

Photo

प्रवेशित कक्षा प्रवेश तिथि चालान/रसीदनं दिनांक
छात्रावास कमरा नं छात्रावास फीस का रसीद नं दिनांक

अ छात्रा का विवरण :-

1. आवेदक का नाम (हिन्दी में) मोबाइल नं.—.....
2. जन्म दिनांक विवाहित / अविवाहित धर्म जाति
3. श्रेणी (एस.सी. / एस.टी. / ओबीसी / सामान्य / अल्पसंख्यक / बी.पी.एल)

ब अभिभावकों का विवरण :-

4. पिता का नाम पिता का मोबाइल नं.—.....
5. माता का नाम माता का मोबाइल नं.—.....
6. पिता का व्यवसाय आय प्रति माह
7. स्थायी पता

स स्थानीय संरक्षक का विवरण :-

8. संरक्षक का नाम छात्रा से रि ता मोबाइल नं.—.....
9. स्थायी पता फोन नं.....

द पत्राचार

द व्यक्तियों के नाम जिनसे (अभिभावक संरक्षक के अतिरिक्त) छात्रा पत्राचार कर सकती है।

- 1 2 3

य 1 छात्रावास में छात्रा से मिल सकने वाले व्यक्तियों का विवरण

क्र सं	नाम व व्यवसाय	मोबाइल नं	छात्रा से रिश्ता	पता	हस्ताक्षर
1					
2					
3					

क्र सं 1 का फोटो	क्र सं 2 का फोटो	क्र सं 3 का फोटो
------------------	------------------	------------------

य 2 स्थानीय व्यक्तियों की सूची जिनके पास छात्रा जा सकती है।

क्र सं	नाम व व्यवसाय	मोबाइल नं	छात्रा से रिश्ता	पता	हस्ताक्षर
1					
2					
3					

क्र सं 1 का फोटो	क्र सं 2 का फोटो	क्र सं 3 का फोटो
------------------	------------------	------------------

- 1 यदि मेरी आश्रिता छात्रावास नियमों की अवहेलना या दुर्व्यवहार करने के कारण छात्रावास से निश्काशित की जाती है तो मैं समस्त देय शुल्क जमा करवा कर उसे ले जाऊँगा ।
- 2 छात्रावास आवेदन पत्र में मेरे द्वारा दी गई समस्त जानकारी सही है मैंने कोई भी जानकारी छुपाई नहीं है । ।

दिनांक :

आवेदक के हस्ताक्षर

हस्ताक्षर अभिभावक

कु/ श्रीमती को देय शुल्क जमा करवा कर छात्रावास में प्रवे । दिया जाये ।

प्राचार्य

देय शुल्क	शुल्क रूपये..... रसीदनं.....
हस्ताक्षर छात्रावास प्रभारी	दिनांक हस्ताक्षर फीस लिपिक

छात्रावास में रहने संबंधी निर्देश :—

छात्रावास में रहने वाली समस्त छात्राओं को निम्न निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।

छात्रावास के कमरे, पानी, बिजली का भुल्क नियमानुसार जमा करवाना अनिवार्य है।

प्रथम किश्त :— माह जुलाई से नवम्बर (5 माह) दिनांक 30 जुलाई तक।

द्वितीय किश्त :— माह दिसम्बर से अप्रैल (5 माह) माह दिसम्बर के प्रथम सप्ताह में।

निर्धारित समय में भुल्क जमा करवाना अनिवार्य

है अन्यथा नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

छात्रावास में भोजन व्यवस्था सहकारिता आधार पर छात्राओं को करनी होगी।

जिसकी राशि का भुगतान नियमानुसार जमा करवाना अनिवार्य है।

निर्धारित समय में शुल्क जमा करवाना अनिवार्य है अन्यथा नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

- माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार महाविद्यालय व छात्रावास परिसर तथा इसके बाहर रेंगिंग पूर्णतया प्रतिबंधित है। किसी भी छात्र के रेंगिंग में लिप्त पाये जाने पर उसे महाविद्यालय व छात्रावास से निश्कासन के साथ नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

छात्रावास में प्रवेश पूर्णतया पिछली कक्षा में प्राप्ताकों की मैरिट के आधार पर किया जायेगा।

छात्रावास में प्रवेश हेतु मैरिट में 10 अंकों का लाभ सह औषधिक गतिविधियों में असाधारण उपलब्धि हेतु देय होगा।

छात्रावास में प्रवेश हेतु सीटों की संख्या नियमानुसार है।

पार्ट प्रथम	पार्ट द्वितीय	पार्ट तृतीय	स्नातकोत्तर पूर्वार्द्ध	स्नातकोत्तर उत्तरार्द्ध	कुल
60	25	25	10	10	130

किसी कक्षा में निर्धारित सीटों से कम आवेदन प्राप्त होने पर अन्य कक्षा में सीटों का स्थानान्तरण किया जायेगा।

- छात्रावास कक्षों में सुरक्षा की दृश्टि से विद्युत उपकरण जैसे हीटर/केटली/हीटिंग रॉड आदि का प्रयोग करना पूर्णतया वर्जित है। ऐसा पाये जाने पर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।
- छात्रावास कक्षों में बाहरी व्यक्तियों या बाहरी छात्राओं का प्रवेश पूर्णतया वर्जित है। बाहरी व्यक्ति या बाहरी छात्रा अतिथि कक्ष में मुलाकात कर सकते हैं।
- छात्रावास में छात्रसंघ चुनाव प्रचार करना पूर्णतया वर्जित है।
- छात्रावास कक्ष से बाहर जाने पर बिजली के स्थिच/पानी के नल बन्द करके जाने की जिम्मेदारी छात्रा की होगी। ऐसा न करने पर जुर्माना जमा करवाना होगा।
- छात्राओं से अपेक्षा की जाती है कि वे छात्रावास परिसर को स्वच्छ व हरा भरा रखने की व्यवस्था में सहयोग करें।
- छात्राओं से अपेक्षा की जाती है कि वे प्रार्थना कक्ष में प्रातः व सांयकालीन प्रार्थना में सम्मिलित हों।
- सांय 7.00 बजे प्लाट छात्राओं का छात्रावास से बाहर रहना पूर्णतया वर्जित है। छात्राओं से अपेक्षा की जाती है कि वे सांय 7.00 बजे तक छात्रावास में उपस्थित हो जायें।

मैं यह वचन देता हूँ के मेरी आश्रिता छात्रावास नियमों की अक्षरशः पालना करेगी।

दिनांक :.....

आवेदक छात्रा के हस्ताक्षर

हस्ताक्षर अभिभावक